UPJL010024862026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 268/2026
विवेक शुक्ला प्रति राज्य उत्तर प्रदेश
मुकदमा अपराध संख्या–172/2026
धारा–105 भारतीय न्याय संहिता 2023,
थाना–कोतवाली उरई, जिला जालौन।

17.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेक शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला, निवासी 1995/ए पटेल नगर महाकवि कालीदास स्कूल के सामने उरई थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 172/2026 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. संक्षेप अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.2026 को वादी मुकदमा विवेक दुबे द्वारा थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 16/17.03.2026 की रात्रि को उसका भाई संजय दुबे उर्फ संजू अपने घर से अपनी पत्नी की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण दवा लेने के लिए घर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहले राजमंदिर गेस्ट हाउस में त्रियोदशी कार्यक्रम में आये, वहॉ वह पहले से मौजूद था। थोड़ी देर रूके, उसी समय उसके भाई संजय दुबे उर्फ संजू के पूर्व परिचित विवेक शुक्ला अपनी सफारी गाड़ी से आ गये और दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगे, विवेक शुक्ला के साथ एक व्यक्ति और था। विवेक शुक्ला अपनी गाड़ी से व उसका भाई अपनी मोटरसाइकिल से यह कहकर चले गये कि भइया दवा अस्पताल गेट पर मिलेगी, वह दवा लेकर घर आ जायेगा और यह लोग राजमंदिर गेस्ट हाउस से चले गये। विवेक शुक्ला की सफारीगाड़ी का नम्बर यू0पी092पी–2777 है। उसे यह मालूम है कि विवेक शुक्ला व उसके भाई संजय दुबे उर्फ संजू का आपस में रूपये का लेन–देन रहता था, यह बात उसके बड़े भाई ने बताई थी। विवेक शुक्ला पॉच लाख रूपये वापस नहीं कर रहे हैं। समय करीब 12–1 बजे रात विवेक मेडीकल स्टोर जहॉ पर दवा लेनी थी, उसके भाई व विवेक शुक्ला में रूपये के लेनदेन को लेकर आपस में विवाद हो रहा था और एक दूसरे से असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तभी वहॉ से संतोष श्रीवास्तव ने घटना को देखा व सुना, तभी विवेक शुक्ला ने कहा कि तुमसे क्या मतलब, तुम यहॉ से जाओ तो वह अपने घर चला गया, वहॉ से उसके बड़े भाई संजय दुबे उर्फ संजू अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे, तभी उनके पीछे विवेक शुक्ला अपनी सफारी गाड़ी से एक व्यक्ति के साथ पीछा करने लगे और समय करीब 3 बजे रात्रि में जालौन रोड पर अपनी गाड़ी से उसके भाई की मोटरसाइकिल में जानबूझ कर पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.25 11:34:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके भाई को गम्भीर चोटें आयीं और वहॉ से घटना करने के बाद मय गाड़ी के भाग गये और बाद में मेडिकल कॉलेज में दो घन्टे बाद उसके भाई की मृत्यु हो गयी। पुलिस के द्वारा सुबह 4:30 बजे उसकी भाभी के फोन पर फोन आया कि संजू मेडिकल कालेज उरई में भर्ती है। सूचना पर वह तथा घर के अन्य लोग मेडिकल कालेज उरई पहुंचे तो अपने भाई संजय दुबे उर्फ संजू को देखा तो वह मृत अवस्था में थे। इसके बाद उनका पंचनामा व पोस्टमार्टम हुआ। वह तथा उसके घर के लोग घटना के बारे में जानकारी करते रहे व अपने अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहे। जो जानकारी है उसके आधार पर प्रार्थना पत्र दे रहा है कि उसके बड़े भाई संजय दुबे उर्फ संजू के साथ विवेक शुक्ला द्वारा एक षडयंत्र के तहत पॉच लाख रूपये वापस न करना पड़े, इसलिए जानबूझ कर गम्भीर घटना कारित कर दी। उसने अपने भाई का शव देखा था उनके शरीर पर कई गम्भीर चोटें थीं। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 29.03.2026 को ही थाना कोतवाली उरई में प्रार्थी/अभियुक्त व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध संख्या 172/2026 पर धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। घटना की रिपोर्ट 13 दिन बाद अत्यन्त विलम्ब से कानूनी सलाह मशबिरा कर लिखायी गयी है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। कथित दुर्घटना की दिनांक को घायल संजय दुबे उर्फ संजू दुबे को मौके पर पहुंची पुलिस ने पी.आर.वी. की सहायता से मेडिकल कालेज उरई में भर्ती कराया, जहॉ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी, जिसका तस्करा जी0डी0 दिनांक 17.03.2026 में है, जिसमें उल्लिखित है कि एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, जो बाईक से गिर कर स्टील के पाइप से टकराकर घायल हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि संजय दुबे उर्फ संजू की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम स्वस्प हुयी है। वादी मुकदमा ने ऐसे किसी दस्तावेज का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो सके कि मृतक व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य पॉच लाख रूपये का लेनदेन था। मृतक व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य मेडिकल स्टोर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था, जिसकी पुष्टि मेडिकल स्टोर के आसपास लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे से की जा सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व थाने की आख्या का अवलोकन करा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा के भाई संजय दुबे को रूपयों के लेनदेन के विवाद के कारण प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपनी सफारी गाड़ी संख्या यू0पी0 92 पी0 2777 से मोटरसाइकिल सवार संजय दुबे को टक्कर मारकर गम्भीर चोटे पहुंचाई, जिसकी वजह से संजय दुबे की मृत्यु हो गयी। केस डायरी में संजय दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें कि मृतक के शरीर पर, चेहरे पर, छाती पर, बॉह पर और पैरो पर कटे हुए घाव, नीलगू खुरसट की चोटें है। सफारी गाड़ी संख्या यू0पी0 92 पी0 2777 की टेक्नीकल परीक्षण रिपोर्ट केस डायरी में संलग्न है, जिसमें बांयी तरफ का ड्राईविंग मिरर, आगे का दाहिना

इण्डीकेटर, पिछला दाहिना इण्डीकेटर आदि क्षतिग्रस्त है। मोटरसाइकिल का भी टेक्नीकल मुआयना रिपोर्ट केस डायरी में संलग्न है, जिसमें मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होना दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जमानत के स्तर पर दुर्घटना स्थल के पास मौजूद कैमरों की सी0सी0टी0वी0 फुटेज को पेनड्राइव में पेश करा गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में थाने की आख्या में यह उल्लेख है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण की विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलन व सी0सी0टी0वी0 फुटेज को प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया जायेगा। पुलिस के द्वारा अपनी लिखित आख्या में अभियुक्त की जमानत का यह कहते हुए विरोध करा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को तलाश किया जा रहा है व उपस्थित होने हेतु घर पर बताया जा रहा है, परन्तु अभियुक्त न तो उपस्थित हो रहा है और न ही साक्ष्य उपलब्ध करा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त यह दर्शा पाने में असफल रहा है कि उसके ऊपर लगाया गया आरोप मिथ्या आरोप है तथा उसे इस केस में द्वेषवश फंसाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर मृतक संजय दुबे की मोटरसाइकिल पर रूपये लेनदेन की वजह से हुए विवाद में टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है तथा इस केस में अभी विवेचना प्रचलित है और प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस के साथ विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है और पुलिस के समक्ष न तो प्रार्थी/अभियुक्त उपस्थित हो रहा है और न ही साक्ष्य उपलब्ध करा रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है और प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।

मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विवेक शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला, निवासी 1995/ए पटेल नगर महाकवि कालीदास स्कूल के सामने उरई थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 172/2026 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 268/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.06.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525